भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2384

उत्तर देने की तारीख-**03/08**/202**6**

आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन

†2384. **श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:**

श्री बी.के. पार्थसारथी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के आरंभ से इसके अंतर्गत शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों की विशेषकर काकीनाडा सहित आंध्र प्रदेश का जिला, वर्ग और लिंग-बार के साथ वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान और पिछले वित्त वर्षों के दौरान स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का वर्ष/राज्य-वार और काकीनाडा सहित आंध्र प्रदेश का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ई-वाउचर भुनाने का विकल्प चुनने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है और ऐसे लाभार्थी जिन्हें ब्याज सब्सिडी वितरित की गई है, की राज्य-वार और आंध्र प्रदेश की जिला-वार संख्या कितनी है;

(घ) आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार सहित राज्य-बार ऐसे ऋणों की संख्या कितनी है जिनमें क्रेडिट गारंटी प्रदान की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों या लेखापरीक्षाओं की संख्या कितनी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अग्रणी बैंकों और छात्रों द्वारा सही और समय पर जानकारी प्रदान की जाती है;

(ङ) क्या सरकार के पास पिछले पाँच वर्षों के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शिक्षा ऋणों का एक केंद्रीयकृत रिकॉर्ड है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(च) विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार दर्ज, निपटाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या कितनी है और इनके लंबित रहने के कारण क्या हैं; और

(छ) क्या बैंक विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर कार्रवाई की निर्धारित समय-सीमा का पालन कर रहे हैं और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (छ) भारत सरकार ने नवंबर 2024 में पीएम-विद्यालक्ष्मी, केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, उन सभी छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा

ऋण प्रदान किया जाता है जो उच्च गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता-आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं और जो शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान प्रदान करती है। प्रति वर्ष एक लाख नए छात्र जो किसी अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान का लाभ नहीं उठा रहे हैं, वे इस ब्याज अनुदान लाभ के लिए पात्र हैं। इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है।

इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा विभाग पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (पीएम-यूएसपी) को कार्यान्वित कर रहा है। पीएम-यूएसपी की केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना घटक के तहत, भारत में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए 10 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर अधिस्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। जिन छात्रों की वार्षिक सकल माता-पिता/पारिवारिक आय ₹4.5 लाख तक है, वे इस योजना के तहत पात्र हैं। पीएम-यूएसपी सीएसआईएस को पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल और पीएम-विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया वॉलेट के माध्यम से भी प्रशासित किया जा रहा है।

दिनांक 6 नवंबर, 2024 को इस योजना के शुभारंभ के बाद से 27 जुलाई, 2026 तक 115528 संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त पीएम विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत राशि 15,994.59 करोड़ रुपये है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज सहायता के दावे अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होते हैं। दिनांक 6 नवंबर, 2024 से दिनांक 31 मार्च 2025 तक स्वीकृत 16469 पीएम विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण में से, वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित ब्याज अनुदान लाभ के 5534 दावे वित्त वर्ष 2025-26 में प्राप्त हुए थे। दिनांक 22 जुलाई, 2026 तक, पीएम-विद्यालक्ष्मी और पीएम-यूएसपी सीएसआईएस के तहत 35,777 सक्रिय डिजिटल रुपया वॉलेट हैं जो ₹57.66 करोड़ की सब्सिडी के वितरण को सक्षम बनाते हैं।

पीएम-यूएसपी की शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसईएल) के तहत, केंद्र सरकार बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा और तीसरे पक्ष गारंटी के छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण और ₹ 7.5 लाख की अधिकतम ऋण सीमा के लिए देती है। यह निधि राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से डिफॉल्ट की गई राशि के 75% तक गारंटी कवर प्रदान करती है। सरकार पारदर्शिता और समय पर प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए प्रतिभागी बैंकों के साथ इन स्कीमों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करती है। वर्ष 2015 में योजना के शुभारंभ के बाद से दिनांक 30 जून, 2026 तक, 59814.79 करोड़ रुपये की राशि के लिए 1465102 क्रेडिट गारंटी जारी की गई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों द्वारा समय पर और सही जानकारी प्रदान की जाए, सीजीएफएसईएल अधिसूचना दिनांक 16.09.2015 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक बैंक को अगली तिमाही की समाप्ति से पहले एक तिमाही में वितरित शिक्षा ऋणों के संबंध में गारंटी कवर के

लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा, प्रत्येक शिक्षा ऋण को छात्र के आधार नंबर से जोड़ा जाना है।

एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://pmvidyalaxmi.co.in विकसित किया गया है, जो दिनांक 25 फरवरी 2025 से कार्यशील है, जिस पर छात्र शिक्षा ऋण, ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं और शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। दिनांक 25 फरवरी 2025 से 25 जुलाई, 2026 तक कुल 34,066 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 32,798 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। 1268 शिकायतें लंबित हैं। इनमें से 65 प्रतिशत लंबित शिकायतें 30 दिनों से भी कम समय में दर्ज की गई हैं और शेष शिकायतों में से 72 प्रतिशत शिकायतें मुख्य रूप से 3 बैंकों में लंबित हैं। यह मंत्रालय पोर्टल के माध्यम से बैंकों के प्रदर्शन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। वित्तीय सेवा विभाग और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ उच्चतर शिक्षा विभाग प्रतिभागी बैंकों के कार्य निष्पादन की नियमित बैठकें आयोजित करता है, लंबित मामलों की निगरानी करता है और आवेदनों और शिकायतों के समय पर निपटान के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की आदर्श शैक्षिक ऋण योजना के दिशा-निर्देशों में बैंकों द्वारा प्राप्त शैक्षिक ऋणों के लिए आवेदनों को 15 दिनों की अवधि के भीतर सामान्य रूप से निपटाए जाने की व्यवस्था है। वर्तमान में शिक्षा ऋण का टर्न अराउंड समय (टीएटी) 15 दिनों से कम है।

राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या तथा स्वीकृत और संवितरित पीएम-विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण की राशि अनुलग्नक-I में दी गई है। आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए जिला-वार, वर्ष-वार, श्रेणी की संख्या और जेंडर-वार स्वीकृत शिक्षा ऋण आंकडे अनुलग्नक-II में दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 में प्राप्त और दिनांक 6 नवंबर, 2024 से दिनांक 31 मार्च, 2025 के बीच स्वीकृत पीएम-विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण के लिए प्राप्त ब्याज छूट दावों और राशि की राज्य-वार और जिला-वार संख्या अनुलग्नक-III में दी गई है। आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए स्वीकृत और संवितरित पीएम-विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋणों की जिला-वार और वर्ष-वार संख्या और राशि अनुलग्नक-IV में दी गई है। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए सक्रिय पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया वॉलेट की राज्य-वार और जिला-वार संख्या और वॉलेट के माध्यम से वितरित राशि अनुलग्नक-V में दी गई है। इसके अलावा, वर्ष 2015 में इस योजना की शुरुआत के बाद से पीएम-यूएसपी सीजीएफएसईएल के तहत प्रदान की गई ऋण गारंटी की राज्य-वार और जिला-वार संख्या और राशि डेटा अनुलग्नक-VI में है। सीजीएफएसईएल के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार एनपीए अनुलग्नक-VII में दिया गया है। पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-VIII में है।

अनुलग्नक-I

"आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तंगेला उदय श्रीनिवास और श्री बी.के. पार्थसारथी द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2384 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत शिक्षा ऋण का राज्यवार डेटा													
		वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 06.11.2024 से दिनांक 31.03.2025)				वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026)				वित्तीय वर्ष 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 27.07.2026)			
क्र.सं.	छात्र राज्य	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत की गई राशि ₹ (करोड़ में)	आवंटित किए गए आवेदनों की संख्या	आवंटित राशि ₹ (करोड़ में)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत की गई राशि ₹ (करोड़ में)	आवंटित किए गए आवेदनों की संख्या	आवंटित राशि ₹ (करोड़ में)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत की गई राशि ₹ (करोड़ में)	आवंटित किए गए आवेदनों की संख्या	आवंटित राशि ₹ (करोड़ में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14	1.16	14	0.51	41	7.07	35	1.41	17	2.15	14	0.57
2	आंध्र प्रदेश	1505	156.09	1505	72.82	5906	693.90	5272	151.01	2258	330.60	1691	56.84
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0.03	1	0.03	21	4.23	17	0.56	7	1.69	6	0.28
4	असम	251	19.86	250	10.30	932	96.24	826	20.65	418	56.49	302	10.27
5	बिहार	693	68.20	686	28.91	3985	480.28	3562	96.49	1851	238.75	1316	39.85
6	चंडीगढ़	41	5.91	41	2.93	161	27.82	142	6.31	71	14.82	51	2.46
7	छत्तीसगढ़	135	18.40	135	9.77	665	108.40	591	23.90	328	55.82	249	10.00
8	दिल्ली	687	93.52	679	46.33	3658	559.42	3383	121.71	1355	263.57	994	49.32
9	गोवा	39	4.92	38	2.86	137	18.57	120	4.85	80	11.47	63	2.94
10	गुजरात	346	53.46	344	26.01	1583	282.22	1481	65.05	920	189.70	721	37.57
11	हरियाणा	515	68.31	515	31.92	2666	426.36	2451	88.95	1150	215.45	887	38.67
12	हिमाचल प्रदेश	105	8.21	104	3.41	586	56.92	528	10.64	283	31.88	190	5.24
13	जम्मू और कश्मीर	38	3.66	38	1.79	299	32.61	268	7.31	160	18.16	108	3.17
14	झारखंड	732	83.88	728	35.35	2556	350.56	2262	70.05	1212	189.56	842	31.75
15	कर्नाटक	1054	90.72	1050	49.51	3618	425.59	3309	112.21	1501	210.76	1223	50.21
16	केरल	1040	92.26	1036	46.91	3529	411.39	3050	97.26	1220	205.38	890	38.50
17	लद्दाख	2	0.12	2	0.08	4	0.62	4	0.12	1	0.21	0	0.00
18	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	1	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	मध्य प्रदेश	649	77.75	643	38.20	3009	460.91	2785	102.49	1512	282.31	1173	53.73
20	महाराष्ट्र	1421	203.17	1412	107.97	6348	1039.78	5785	241.98	2949	603.74	2255	115.51
21	मणिपुर	15	0.78	14	0.26	65	5.78	56	1.17	52	5.97	41	1.05
22	मेघालय	25	1.74	25	0.99	98	10.34	90	1.92	33	3.40	24	0.60
23	मिजोरम	2	0.10	2	0.03	19	3.36	16	0.59	10	2.57	8	0.32
24	नगालैंड	7	0.26	7	0.15	33	3.72	29	0.76	23	4.29	18	0.50

25	ओडिशा	618	52.34	618	24.90	2566	315.94	2306	69.73	1072	180.96	851	37.70
26	पुदुचेरी	49	2.65	49	1.58	116	12.55	104	3.25	29	4.00	23	0.85
27	पंजाब	227	32.88	225	13.98	1348	202.56	1221	38.78	595	101.52	444	16.50
28	राजस्थान	647	79.74	645	36.34	3151	465.24	2894	90.53	1281	234.12	997	41.49
29	सिक्किम	2	0.07	2	0.03	12	2.09	11	0.92	3	0.51	1	0.05
30	तमिलनाडु	2471	177.61	2465	98.97	6814	672.18	5743	174.23	2435	302.77	2061	73.38
31	तेलंगाना	682	93.25	681	41.47	2598	385.48	2367	78.55	1046	190.70	831	34.30
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5	0.46	5	0.27	33	4.50	31	1.16	25	3.86	21	0.71
33	त्रिपुरा	27	2.49	27	1.20	128	11.47	110	2.62	44	5.83	31	0.72
34	उत्तर प्रदेश	1636	180.60	1624	86.48	8580	1092.40	7814	236.98	4178	657.73	3260	124.30
35	उत्तराखंड	280	27.83	279	13.79	1182	144.95	1089	30.88	525	74.53	380	13.13
36	पश्चिम बंगाल	508	69.22	507	36.98	2527	430.19	2296	95.45	1440	281.99	1125	53.74
कुल		**16469**	**1772**	**16396**	**873**	**68975**	**9245.68**	**62048**	**2050.5**	**30084**	**4977**	**23091**	**946.22**

अनुलग्नक-II

"आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तंगेला उदय श्रीनिवास और श्री बी.के. पार्थसारथी द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2384 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत आंध्र प्रदेश के छात्रों के लिए स्वीकृत शिक्षा ऋण के जिला, श्रेणी और लिंगवार डेटा																													
क्र.सं.	जिले का नाम	वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 06.11.2024 से दिनांक 31.03.2025) के दौरान स्वीकृत आवेदनों की संख्या								वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026) के दौरान स्वीकृत आवेदनों की संख्या								वित्त वर्ष 2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 27.07.2026) के दौरान स्वीकृत आवेदनों की संख्या											
		सामान्य		अ.पि.वर्ग		अ.जाति		अ.ज.जाति		सामान्य		अ.पि.वर्ग		अ.जाति		अ.ज.जाति		सामान्य		अ.पि.वर्ग		अ.जाति		अ.ज.जाति					
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष				
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	0	2	0	1	0	0	0	1	61	100	43	98	14	27	4	32	21	43	20	30	4	12	4	6				
2	अनकापल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	26	1	1	0	1	4	3	5	9	0	1	0	0				
3	अनंतपुर	32	43	6	24	1	3	0	3	52	67	31	47	2	13	2	13	25	30	11	20	2	0	1	1				
4	अन्नमय्या	0	1	0	0	0	0	0	0	11	27	9	17	3	2	0	0	4	8	1	2	0	0	0	0				
5	बापतला	1	1	1	1	1	0	0	0	8	10	4	8	2	4	1	0	4	7	0	7	1	2	1	0				
6	चित्तूर	20	36	10	16	1	3	2	0	53	106	36	81	6	27	1	3	28	44	18	25	5	6	1	0				
7	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा	0	2	0	0	0	0	0	0	7	16	4	8	4	0	0	0	4	6	0	2	0	1	0	0				
8	पूर्वी गोदावरी	39	90	11	35	3	5	1	0	75	238	49	158	13	33	1	4	40	65	14	41	5	10	0	2				
9	एलुरु	1	2	0	1	0	0	0	0	6	18	4	11	3	5	1	2	8	8	3	9	0	0	0	0				
10	गुंटूर	47	91	9	11	4	8	0	1	117	234	48	130	31	49	5	17	61	83	30	52	10	19	0	4				
11	काकीनाडा	3	4	1	0	0	1	0	0	18	36	9	27	3	1	0	0	10	11	8	7	1	2	0	0				
12	कृष्ण	27	65	9	25	5	7	1	3	66	150	58	125	15	29	3	5	28	40	25	37	6	8	4	5				
13	कुरनूल	14	20	7	13	3	1	1	1	33	85	23	78	4	20	1	8	21	23	5	19	0	9	0	2				
14	नांदयाल	1	1	0	0	0	0	0	0	7	21	6	10	2	3	0	0	3	8	0	1	1	0	0	1				
15	एनटीआर	1	2	0	0	0	1	0	0	18	30	6	22	6	9	1	1	5	14	4	7	2	2	0	0				
16	पालनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	3	9	1	4	0	4	4	11	5	1	0	1	0	1				
17	पार्वतीपुरम मान्यम	1	2	0	2	0	0	0	0	0	2	7	12	0	1	0	0	0	2	3	4	0	0	0	0				
18	प्रकाशम	14	43	7	13	4	3	1	0	39	103	17	54	7	23	0	5	16	35	8	21	1	10	1	2				
19	एसपीएसआर नेल्लोर	17	28	4	10	0	1	1	0	34	66	19	38	6	12	1	4	5	27	8	15	3	5	0	0				
20	श्री सत्य साई	1	4	0	3	0	0	0	0	15	33	9	27	1	6	2	5	6	11	6	17	0	2	0	1				
21	श्रीकाकुलम	6	24	4	34	0	3	0	1	15	56	40	161	3	11	0	4	3	16	15	54	1	1	1	2				

22	तिरुपति	0	2	1	0	0	0	0	0	26	30	10	40	2	13	0	1	11	14	6	21	4	5	1	0
23	विशाखापत्तनम	29	73	25	60	1	6	0	0	92	182	122	281	19	35	3	7	43	92	63	124	15	22	3	3
24	विजयनगरम	6	22	12	51	0	1	1	1	12	40	55	160	6	2	1	2	7	11	21	52	0	4	0	1
25	पश्चिम गोदावरी	18	54	15	25	2	3	0	0	56	159	27	94	7	27	1	2	14	64	15	28	4	4	0	1
26	वाई.एस.आर.	10	55	2	10	0	0	0	2	34	91	19	40	4	12	2	2	16	29	6	15	2	0	0	0
कुल		**288**	**667**	**124**	**335**	**25**	**46**	**8**	**13**	**862**	**1929**	**667**	**1762**	**165**	**369**	**30**	**122**	**391**	**705**	**300**	**620**	**67**	**126**	**17**	**32**

अनुलग्नक- III

"आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तंगेला उदय श्रीनिवास और श्री बी.के. पार्थसारथी द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2384 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम-वीएल योजना के तहत स्वीकृत ऋणों के राज्यवार ब्याज सबवेंशन दावे (दावा वर्ष 2024-25)			
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**मांगों की संख्या**	**मांगी गई कुल सब्सिडी की राशि (₹)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7	9697
2	आंध्र प्रदेश	546	2242379
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4	असम	96	207025
5	बिहार	179	674356
6	चंडीगढ़	7	21073
7	छत्तीसगढ़	43	186182
8	दिल्ली	254	920258
9	गोवा	12	120705
10	गुजरात	76	273076
11	हरियाणा	117	267115
12	हिमाचल प्रदेश	40	103487
13	जम्मू और कश्मीर	10	16814
14	झारखंड	152	425271
15	कर्नाटक	484	1477357
16	केरल	518	1754916
17	लद्दाख	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0
19	मध्य प्रदेश	210	745860
20	महाराष्ट्र	348	1459306
21	मणिपुर	3	5140
22	मेघालय	11	20087
23	मिजोरम	1	1353
24	नागालैंड	3	7043

25	ओडिशा	264	723817
26	पुडुचेरी	17	75201
27	पंजाब	27	105700
28	राजस्थान	141	536783
29	सिक्किम	2	900
30	तमिलनाडु	1054	2658277
31	तेलंगाना	129	434848
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2	5263
33	त्रिपुरा	11	25116
34	उत्तर प्रदेश	520	1663665
35	उत्तराखंड	112	467758
36	पश्चिम बंगाल	138	498524
कुल		**5534**	**18134352**

आंध्र प्रदेश राज्य-स्वीकृत ऋणों के जिला-वार ब्याज सबवेंशन दावे
पीएम-वीएल योजना के तहत (दावा वर्ष 2024-25)

क्र.सं.	जिले का नाम	मांगों की संख्या	मांगी गई कुल सब्सिडी की राशि (₹)
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	1	748
2	अनकापल्ली	0	0
3	अनंतपुरमु	46	204269
4	अन्नमय्या	0	0
5	बापतला	0	0
6	चित्तूर	32	99144
7	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	0	0
8	पूर्वी गोदावरी	68	260593
9	एलुरु	2	162
10	गुंटूर	93	398057
11	काकीनाडा	0	0
12	कृष्ण	58	262649

13	कुरनूल	18	66386
14	नांदयाल	0	0
15	एनटीआर	0	0
16	पालनाडु	0	0
17	पार्वतीपुरम मान्यम	0	0
18	प्रकाशम	37	143559
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	15	56810
20	श्री सत्य साई	0	0
21	श्रीकाकुलम	25	91586
22	तिरुपति	1	649
23	विशाखापत्तनम	45	191244
24	विजयनगरम	30	150385
25	पश्चिम गोदावरी	48	182152
26	वाई.एस.आर.	27	133986
कुल		**546**	**2242379**

अनुलग्नक- IV

"आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तंगेला उदय श्रीनिवास और श्री बी.के. पार्थसारथी द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2384 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत आवेदनों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का जिलेवार डाटा

क्र.सं.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक06.11.2024 से दिनांक31.03.2025)				वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक01.04.2025 से दिनांक31.03.2026)				वित्तीय वर्ष 2026-27 (दिनांक01.04.2026 से दिनांक27.07.2026)			
		स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत राशि ₹ (करोड़ में)	आवंटित आदेवनों की संख्या	आवंटित राशि ₹ (करोड़ में)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत राशि ₹ (करोड़ में)	आवंटित आदेवनों की संख्या	आवंटित राशि ₹ (करोड़ में)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत राशि ₹ (करोड़ में)	आवंटित आदेवनों की संख्या	आवंटित राशि ₹ (करोड़ में)
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	4	0.24	4	0.10	379	44.40	348	9.47	140	21.91	104	3.12
2	अनकापल्ली	0	0	0	0.00	44	3.66	40	0.87	22	2.76	16	0.45
3	अनंतपुर	112	11.88	112	6.24	227	27.65	203	5.73	90	14.09	74	2.53
4	अन्नमय्या	1	0.05	1	0.04	69	6.26	61	1.38	15	2.29	12	0.38
5	बापतला	5	0.64	5	0.25	37	2.84	34	0.52	22	1.96	14	0.31
6	चित्तूर	88	11.19	87	5.10	313	37.17	280	9.23	127	21.25	106	4.2
7	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	2	0.1	2	0.04	39	3.70	29	0.54	13	1.36	13	0.26
8	पूर्वी गोदावरी	184	18.22	184	8.60	571	69.73	500	14.06	177	24.26	130	3.97
9	एलुरु	4	0.38	4	0.24	50	5.47	45	1.25	28	3.73	20	0.63
10	गुंटूर	171	17.21	171	7.26	631	65.10	527	13.27	259	31.8	176	5.28
11	काकीनाडा	9	1.31	9	0.51	94	11.50	79	2.28	39	5.93	30	0.85
12	कृष्ण	142	13.37	142	5.65	451	51.79	381	11.41	153	24.1	112	4.17
13	कुरनूल	60	6.46	60	3.10	252	29.60	221	6.82	79	12.47	62	2.96
14	नांदयाल	2	0.29	2	0.03	49	5.21	40	1.05	14	1.35	9	0.27
15	एनटीआर	4	0.76	4	0.48	93	9.89	79	2.12	34	4.32	19	0.44
16	पालनाडु	0	0	0	0.00	51	6.24	44	1.31	23	3.07	12	0.66
17	पार्वतीपुरम मान्यम	5	0.31	5	0.10	22	2.59	21	0.59	9	1.08	6	0.16
18	प्रकाशम	85	8.84	85	3.75	248	28.41	225	5.98	94	11.46	74	1.9
19	एसपीएसआर नेल्लोर	61	5.44	61	2.38	180	18.37	170	4.59	63	8	49	1.62
20	श्री सत्य साई	8	0.62	8	0.48	98	9.94	82	2.35	43	4.97	34	0.86
21	श्रीकाकुलम	72	7.48	72	3.48	290	35.58	273	7.58	93	12.57	72	2.25
22	तिरुपति	3	0.51	3	0.36	122	13.94	114	3.68	62	8.91	49	1.6
23	विशाखापत्तनम	194	24.98	194	12.18	741	106.48	685	23.81	365	67.89	276	11.36
24	विजयनगरम	94	8.73	94	3.96	278	35.83	257	6.83	96	13.5	72	2.01
25	पश्चिम गोदावरी	117	9.32	117	4.09	373	38.42	337	8.18	130	16.06	102	2.98
26	वाई.एस.आर.	79	7.76	79	4.39	204	24.14	197	6.13	68	9.51	48	1.6
कुल		1506	156.09	1505	72.82	5906	693.90	5272	151.01	2258	330.6	1691	56.8

अनुलग्नक- V

"आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तंगेला उदय श्रीनिवास और श्री बी.के. पार्थसारथी द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2384 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्यवार पीएम-विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपी ऐप वॉलेट

दिनांक **07.2026** तक

क्र.सं.	जिले का नाम	सक्रिय डिजिटल वॉलेट	वॉलेट के ज़रिए आवंटित कुल सब्सिडी की राशि (₹)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	375	35,26,678
2	आंध्र प्रदेश	1410	2,62,10,746
3	अरुणाचल प्रदेश	1	41,987
4	असम	96	24,25,889
5	बिहार	1063	2,27,74,774
6	चंडीगढ़	17	7,06,361
7	छत्तीसगढ़	381	61,38,183
8	दिल्ली	975	1,98,19,800
9	गोवा	35	10,29,338
10	गुजरात	799	1,50,97,696
11	हरियाणा	276	76,53,447
12	हिमाचल प्रदेश	117	10,74,362
13	जम्मू और कश्मीर	786	1,04,03,938
14	झारखंड	1029	1,88,59,434
15	कर्नाटक	7266	11,20,54,343
16	केरल	3875	5,34,91,697
17	लद्दाख	3	53,212
18	लक्षद्वीप	2	1,01,596
19	मध्य प्रदेश	2485	4,87,65,368
20	महाराष्ट्र	3987	5,69,35,232
21	मणिपुर	6	2,17,178
22	मेघालय	11	3,14,463
23	मिजोरम	7	1,54,402
24	नागालैंड	29	4,48,887
25	ओडिशा	1262	1,74,53,976
26	पुदुचेरी	79	7,09,560
27	पंजाब	88	28,12,091
28	राजस्थान	933	1,71,84,517
29	सिक्किम	8	2,01,941
30	तमिलनाडु	4897	5,06,47,379
31	तेलंगाना	230	65,73,161
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	43	6,55,221
33	त्रिपुरा	32	2,59,163
34	उत्तर प्रदेश	2268	5,18,71,546
35	उत्तराखंड	441	93,39,401
36	पश्चिम बंगाल	465	1,05,67,133
कुल		**35777**	**57,65,74,101**

दिनांक 22.07.2026 तक आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जिलेवार पीएम-विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपी ऐप वॉलेट			
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**सक्रिय डिजिटल वॉलेट**	**वॉलेट के ज़रिए आवंटित कुल सब्सिडी की राशि (₹)**
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	1	133640
2	अनकापल्ली	2	7247
3	अनंतपुरमु	106	1684961
4	अन्नमय्या	0	0
5	बापतला	0	0
6	चित्तूर	66	1292007
7	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा	0	0
8	पूर्वी गोदावरी	137	2150191
9	एलुरु	1	9320
10	गुंटूर	169	3192003
11	काकीनाडा	2	10552
12	कृष्ण	98	1601130
13	कुरनूल	79	1698398
14	नांदयाल	0	0
15	एनटीआर	0	0
16	पालनाडु	2	8897
17	पार्वतीपुरम मान्यम	0	0
18	प्रकाशम	116	2372279
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	89	1963810
20	श्री सत्य साई	2	20777
21	श्रीकाकुलम	78	1351221
22	तिरुपति	0	0
23	विशाखापत्तनम	154	3441054
24	विजयनगरम	107	1150812
25	पश्चिम गोदावरी	117	2687060
26	वाई.एस.आर.	84	1435387
कुल		**1410**	**26210746**

अनुलग्नक- VI

"आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तंगेला उदय श्रीनिवास और श्री बी.के. पार्थसारथी द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2384 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

	वर्ष 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से दिनांक 30.06.2026 तक राज्यवार सीजीएफएसईएल डाटा		
क्र.सं.	**राज्य**	**गारंटीकृत ऋणों की संख्या**	**गारंटीकृत ऋण की राशि (₹ करोड़)**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	664	31.45
2	आंध्र प्रदेश	86256	4552.91
3	अरुणाचल प्रदेश	479	19.68
4	असम	17036	718.97
5	बिहार	40424	1921.58
6	चंडीगढ़	1703	93.08
7	छत्तीसगढ़	18258	741.74
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	358	17.48
9	दिल्ली	30620	1532.77
10	गोवा	2876	119.02
11	गुजरात	29843	1364.06
12	हरियाणा	23860	1215.47
13	हिमाचल प्रदेश	13140	561.07
14	जम्मू और कश्मीर	4925	225.67
15	झारखंड	32317	1566.79
16	कर्नाटक	221549	8396.75
17	केरल	188010	7189.10
18	लद्दाख	32	1.35
19	लक्षद्वीप	21	0.98
20	मध्य प्रदेश	56352	2465.87
21	महाराष्ट्र	168410	6368.37
22	मणिपुर	1203	53.11
23	मेघालय	3118	126.78
24	मिजोरम	219	8.98
25	नगालैंड	735	33.01
26	ओडिशा	38562	1627.29
27	पुदुचेरी	5230	171.66
28	पंजाब	17515	963.00
29	राजस्थान	33771	1653.57
30	सिक्किम	651	27.43
31	तमिलनाडु	234312	7237.88
32	तेलंगाना	34449	1764.5
33	त्रिपुरा	3347	125.14
34	उत्तर प्रदेश	96808	4502.02
35	उत्तराखंड	19525	911.74
36	पश्चिम बंगाल	38524	1504.51
	कुल	**1465102**	**59814.79**

	वर्ष 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से दिनांक 30.06.2026 तक आंध्र प्रदेश का जिलेवार सीजीएफएसएल डेटा		
क्र.सं.	**जिला**	**गारंटीकृत ऋणों की संख्या**	**गारंटीकृत ऋण की राशि (₹ करोड़)**
1	अनकापल्ली	5	0.34
2	अनंतपुरमु	6760	362
3	अन्नमय्या	4	0.26
4	बापतला	51	2.73
5	चित्तूर	6393	332.26
6	डॉ.बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा	7	0.21
7	पूर्वी गोदावरी	9557	484.9
8	एलुरु	6	0.38
9	गुंटूर	11143	626.04
10	काकीनाडा	13	0.63
11	कृष्ण	9293	495.04
12	कुरनूल	5163	273.49
13	नांदयाल	9	0.51
14	एनटीआर	3	0.15
15	पालनाडु	5	0.34
16	प्रकाशम	5265	281.53
17	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	5196	277.95
18	श्री सत्य साई	12	0.57
19	श्रीकाकुलम	3248	161.8
20	तिरुपति	8	0.43
21	विशाखापत्तनम	9224	477.79
22	विजयनगरम	2909	144.86
23	पश्चिम गोदावरी	7526	385.82
24	वाईएसआर (कडपा)	4456	242.88
	कुल	**86256**	**4552.91**

अनुलग्नक- VII

"आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तंगेला उदय श्रीनिवास और श्री बी.के. पार्थसारथी द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2384 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

		पिछले 5 वर्षों में राज्यवार सीजीएफएसईएल एनपीए डेटा									
		वि.वर्ष 21-22		वि.वर्ष 22-23		वि.वर्ष 23-24		वि.वर्ष 24-25		वि.वर्ष 25-26	
क्र. सं.	राज्य	रिकॉर्ड्स की संख्या	एनपीए राशि (करोड़ रुपये)	रिकॉर्ड्स की संख्या	एनपीए राशि (करोड़ रुपये)	रिकॉर्ड्स की संख्या	एनपीए राशि (करोड़ रुपये)	रिकॉर्ड्स की संख्या	एनपीए राशि (करोड़ रुपये)	रिकॉर्ड्स की संख्या	एनपीए राशि (करोड़ रुपये)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0.04	3	0.11	1	0.05	2	0.08	5	0.18
2	आंध्र प्रदेश	120	3.67	234	7.90	252	8.62	364	13.01	558	22.28
3	अरुणाचल प्रदेश	7	0.27	2	0.10	0	0.00	1	0.01	3	0.16
4	असम	29	1.23	72	2.51	82	2.79	110	3.80	158	5.75
5	बिहार	372	13.18	514	18.47	420	15.06	306	11.67	285	10.44
6	चंडीगढ़	0	0.00	3	0.12	5	0.27	3	0.09	10	0.52
7	छत्तीसगढ़	77	2.23	142	4.76	157	4.59	164	5.09	186	5.61
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0.00	2	0.08	1	0.08	1	0.01	2	0.04
9	दिल्ली	55	2.23	77	2.77	96	4.27	130	4.70	157	6.37
10	गोवा	4	0.12	14	0.48	5	0.19	7	0.24	9	0.35
11	गुजरात	24	0.43	61	1.91	77	1.96	80	2.42	130	4.26
12	हरियाणा	54	1.60	81	2.51	64	2.10	87	3.22	114	4.26
13	हिमाचल प्रदेश	14	0.45	35	1.02	33	1.08	37	1.38	64	2.12
14	जम्मू और कश्मीर	4	0.05	19	0.63	9	0.35	11	0.42	19	0.75
15	झारखंड	119	4.11	179	6.93	177	6.16	195	7.01	179	7.20
16	कर्नाटक	527	12.83	1085	29.78	1053	29.69	1354	38.49	1255	34.30
17	केरल	263	7.33	1084	33.59	1547	49.48	1631	52.94	1539	50.75
18	लद्दाख	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0	0.00	0	0.00
19	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.05
20	मध्य प्रदेश	174	4.52	341	9.20	365	10.27	397	12.22	361	11.52
21	महाराष्ट्र	493	11.90	1072	28.22	1302	34.65	1252	34.73	1233	33.47
22	मणिपुर	3	0.06	7	0.30	12	0.26	19	0.55	8	0.39
23	मेघालय	6	0.16	12	0.37	18	0.58	15	0.46	19	0.69
24	मिजोरम	1	0.03	3	0.11	1	0.04	0	0.00	1	0.04
25	नगालैंड	2	0.02	1	0.04	2	0.06	3	0.08	4	0.18
26	ओडिशा	159	4.22	338	10.37	339	9.06	262	7.70	287	8.85
27	पुदुचेरी	19	0.51	112	2.64	71	2.30	66	2.08	86	2.68
28	पंजाब	41	1.19	64	1.92	47	1.51	64	2.50	79	3.15
29	राजस्थान	45	1.29	108	3.36	122	3.82	119	3.75	150	5.48
30	सिक्किम	0	0.00	1	0.05	1	0.01	4	0.08	4	0.14
31	तमिलनाडु	1775	36.42	7330	159.97	6825	160.09	6140	148.98	4375	107.77
32	त्रिपुरा	28	0.72	19	0.58	20	0.46	35	0.98	27	0.93
33	उत्तर प्रदेश	401	11.66	611	21.37	493	17.17	494	16.96	584	20.62
34	उत्तराखंड	12	0.40	33	1.06	34	0.95	56	1.79	79	2.49
35	पश्चिम बंगाल	154	4.16	242	7.29	245	7.33	332	10.94	395	12.92
कुल		**4983**	**127.04**	**13901**	**360.53**	**13877**	**375.30**	**13741**	**388.39**	**12366**	**366.70**

अनुलग्नक- VIII

"आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तंगेला उदय श्रीनिवास और श्री बी.के. पार्थसारथी द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2384 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

	दिनांक 25.07.2026 तक राज्यवार शिकायत डाटा			
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**प्राप्त**	**Resolved**	**विचाराधीन**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	21	21	0
2	आंध्र प्रदेश	1408	1353	55
3	अरुणाचल प्रदेश	18	18	0
4	असम	400	378	22
5	बिहार	2338	2244	94
6	चंडीगढ़	44	43	1
7	छत्तीसगढ़	260	242	18
8	दिल्ली	1444	1383	61
9	गोवा	76	73	3
10	गुजरात	782	743	39
11	हरियाणा	1142	1089	53
12	हिमाचल प्रदेश	143	135	8
13	जम्मू और कश्मीर	251	241	10
14	झारखंड	949	901	48
15	कर्नाटक	2750	2670	80
16	केरल	1276	1240	36
17	लद्दाख	4	4	0
18	मध्य प्रदेश	1493	1439	54
19	महाराष्ट्र	3422	3244	178
20	मणिपुर	46	45	1
21	मेघालय	39	37	2
22	मिजोरम	10	8	2
23	नगालैंड	46	45	1
24	ओडिशा	730	708	22
25	पुदुचेरी	50	45	5
26	पंजाब	435	421	14
27	राजस्थान	1338	1291	47
28	सिक्किम	16	16	0
29	तमिलनाडु	2666	2548	118
30	तेलंगाना	1061	1024	37
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	11	11	0
32	त्रिपुरा	53	53	0
33	उत्तर प्रदेश	4442	4243	199
34	उत्तराखंड	378	360	18
35	पश्चिम बंगाल	1124	1084	40
36	राज्य उपलब्ध नहीं है	3400	3398	2
	कुल योग	**34066**	**32798**	**1268**
